

29-8-06 H
3 Copies

Reg-120

पंजीकृत

प्रेषक,

जनपद न्यायाधीश,
गोण्डा ।

13552

सेवा में,

श्री कै०सी० श्रीवास्तव,
उप निबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद ।

29.8.06
31.8.06
IV/3161
25-5-7
2-8-06
20-8-06

संख्या:

1992

दिनांक: 22-8-2006

विषय:

उ०प्र० दहेज प्रतिषेध नियमावली 1999 यथासंशोधित
2004 के प्राविधानों के सम्बन्ध में माननीय उच्च
न्यायालय के परिपत्र क्रमांक-31/2005 दिनांक -
29.10.2005 का क्लॉई से अनुपालन के सम्बन्ध में ।

orig. in IV/3162

महोदय,

उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र सं०-1797

दिनांक 24.7.2006 तथा माननीय उच्च न्यायालय के पत्र

क्रमांक-9073/प्रशास० ए-4 दिनांक 13.7.2006 के सन्दर्भ में

अनुरोध करना है कि उपरोक्त परिपत्र क्रमांक-31/05 दिनांक -

29.10.2005 एवं शासनादेश संख्या-3670/60-3-05-3

१16 ए०क्यू०/2000 दिनांक 2.5.2005, 1284/60-3-2005-3

१65 दिनांक 26.05.2005 तथा उत्तर प्रदेश प्रतिषेध प्रथम

संशोधन नियमावली 2004 के नियम-5१५११क में निहित

निर्देशों के अनुपालन में, न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान,

उ०प्र०, लखनऊ में तत्समय प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे, जनपद न्यायालय

गोण्डा में नव नियुक्त अपर सिविल जज ज०डि० गोण्डा क्रमांक:

श्री ब्रह्मतेज कर्तवैदी एवं श्री श्यामल मिश्र से अपेक्षित धौष्यापत्र

प्राप्त कर लिए गए हैं । श्री हुमायूँ रशीद खाँ, अपर सिविल जज

ज०डि० गोण्डा एवं श्री शाहनवाज तोकरीर खाँ तनवीर, अपर

सिविल जज ज०डि० गोण्डा द्वारा इस आशय के धौष्यापत्र

प्रस्तुत किए गए हैं कि उनका विवाह अभी नहीं हुआ है, और

यह कि वे अपने विवाह में कोई दहेज नहीं लीं । उपरोक्त सभी

क०प०उ०...2...

3433
S.D. Admin H/A
D.R.(M)
28.08.06,

AR (M)
only for information
May file?

u/s 107


Feb

u/s 107

अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत जी.प.प.पत्र प्रत्येक दो प्रतियों में,
माननीय उच्च न्यायालय के अवलोकनार्थ सलान किया जा रहा है।

अतः उपरोक्तानुसार अनुपालन आह्वय, माननीय उच्च
न्यायालय के अवलोकनार्थ सादर प्रस्तुत है।

सलानक यथोक्त।


प्र० जनसचिव न्यायाधीश,
गोण्डा।
22/8/2006

घोषणा- पत्र

RCY-120

माननीय उच्च न्यायालय के परिपत्र क्रमांक 31/05
दिनांक: 29.10.2005, शासनादेश संख्या: 3670/60-3-04 § 16 ए0क्यू §/
2000 दिनांक: 30.12, 2004, 1107/60-3-05-3 § 16 ए0क्यू §/
2000 दिनांक: 02.05.2005, 1284/60-3-2005-3 § 65 § दिनांक:
26.5.2005 तथा उत्तर प्रदेश दहेज प्रतिषेध § प्रथम संशोधन §
नियमावली 2004 के नियम-5 § 5 § क § में निहित निर्देशों के अनुपालन
में, मैं हुमायूं रशीद खाँ आत्मज रशीद अहमद खाँ, अपर
सिविल जज § जू0डि0 §, न्यायालय कक्ष संख्या-प्रथम, गोण्डा
एतद्वारा घोषित करता हूँ कि मेरा विवाह अभी नहीं हुआ है
और यह कि मैं अपने विवाह में कोई दहेज नहीं लूंगा ।

Humayun
11/08/06

§ हुमायूं रशीद खाँ §

अपर सिविल जज § जू0डि0 §

न्यायालय कक्ष संख्या= प्रथम, गोण्डा।

दिनांक: 11.8.2006

अवलोकित ।

[Signature]
जिला जज,

गोण्डा ।

14.8.06

RCY-120